न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी........ मुकाम ....बनेड़ा........

........कान्हा गुर्जर........ बनाम ....मांगू गुर्जर वगैरह........

किस्म मुकदमा ....वाद........ नं. ....86/13........ सन् ....2018........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वकील .... द्वारा .... पत्र अन्तर्गत धारा .... विरूद्ध .... पेश किया गया । .... पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर .... की तलबी हेतु प्रत्रावली दिनांक .... को पेश हो ।	
17/4/18	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। विनिमय प्रस्ताव प्राप्त नहीं। पत्रावली वास्ते न्याय आपके द्वार अभियान दि 23/5/18 मु. सालरियाकलां पेश हो (हस्ताक्षर)	
	23.05.2018 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम सालरियाकंला में पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2013 से लम्बित होकर आज वादी को प्रस्तुत करने विपक्षीगण 7 के कायम मुकाम प्रार्थनापत्र हेतु नियत है। यानि प्रकरण विगत 05 वर्षो से विपक्षीगणों की तलबी चरण पर विचाराधीन है। जो कि न्यायिक दृष्टी से बेंहद खेदजनक है। पैशी दर पैशी निरन्तर वादी को उपरोक्त प्रतिपूर्ति बाबत स्मरण कराया जाता रहा है। एक ही विषय को लेकर बार बार स्मरण कराया जाना भी उचित नही है। इस सन्दर्भ में और अतिरिक्त अवसर दिये जाने का भी कोई संतोषप्रद कारण वादी द्वारा आज सुनवाई के दौरान सुझाया नही गया है। एक ही चरण पर पत्रावली को निरन्तर सुनावई पर चलाये जाने से न्यायालय का समय व श्रम दोना जाया होता है। उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 05 सी.पी.सी. के तहत, वादी की गैर अनुपालना में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा	